177

/ल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

203] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 1998/ज्येष्ठ 12, 1920
No. 203] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 1998/JYAISTHA 12, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1998

सा.का. नि. 323(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (विभागाध्यक्षों की भर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

## अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल ने निम्नलिखित नाम से विनियमावली बनाई है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 1998 होगा।

(2) सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से यह विनियमावली लागू होगी।

2. उपर्युक्त विनियमावली के विनियम-2 में निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे :

(11) "स्थानान्तरण" शब्द से मंडल के किसी अन्य विभाग से अथवा किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य सरकार के निकाय, अर्ध-सरकारी निकाय या केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के नियन्त्रण वाले सार्वजनिक निकाय से किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण अभिप्रेत है ।

(12) "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" से किसी केंद्र अथवा राज्य सरकार के निकाय, अर्ध-सरकारी निकाय या केंद्र या राज्य सरकार के नियन्त्रण वाले सार्वजनिक निकाय में कार्यरत किसी व्यक्ति का निश्चित समय के लिये स्थानांतरण अभिप्रेत है ।

3. विनियम-5 के अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा ।

स्पष्टीकरण : भर्ती की किसी भी विधि द्वारा विहित योग्यता रखने वाले उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता उस अभ्यर्थी की योग्यता में छूट देने के लिये उचित और पर्याप्त कारण होगी जिसमें यद्यपि विहित योग्यता नहीं है, किंतु वह उपयुक्त है।

4. विनियम-7 के उप-विनियम (1) में पहले वाक्य में "3 महीने की अवधि के अतर्गत" शब्द जोड़े जाएंगे।

5. विनियम-8 के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :

"बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उसे अपने मामले की प्रतिरक्षा करने का एक अवसर दिया जाएगा।"

6. विनियम-10 में से उप-विनियम (5) हटाया जाएगा और उप-विनियम (6) का नम्बर उप-विनियम (5) किया जाएगा।

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली भारत सरकार के राजपत्र में दि. 14-12-1993 को सा.का.नि. 512 (अ) के द्वारा अधिसूचित की गई थी और इसके तुरंत बाद दि. 29-3-1996 को सा.का.नि. 155 (अ) के अंतर्गत संशोधित की गई।

[फा. सं. एच-11011/9/95—पी.ई.-I]

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 1998

G.S.R. 323(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 read with sub-section (1) of ction 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves Jawahar Lal Nehru ort Trust (Recruitment of Heads of Department) (Second Amendment) Regulations, 1998 made by the Board of Trustees for e Jawahar Lal Nehru Port and set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

## SCHEUDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963) the Board of ustees of the Jawahar Lal Nehru Port Trust hereby makes the following regulations, namely :

(1) **Short Title and Commencement :—**

(1) These regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust (Recruitment of Heads of Department) (second amendment) Regulations, 1998.

(2) They shall come into effect from the date of publication in the Official Gazette.

(2) In Regulation 2 of the above mentioned set of Regulations the following clauses may be added :

(11) "Transfer" means the transfer of a person employed in any other department of the Board or in any other Central or State Govt. body, Semi Government body or Public body under the control of the Central or a State Govt.

(12) "Transfer on deputation" means the transfer of a person employed in any Central or State Govt. body, Semi Govt. body or Public body under the control of the Central or a State Govt. for a fixed period.

3. In Regulation 5, the following explanation may be added at the end :

"**Explanation** : Non-availability of a suitable candidate fulfilling the prescribed qualification by any mode of recruitment is good and sufficient reason for relaxation of qualification in favour of a candidate who does not fulfil the prescribed qualification but is suitable."

4. In Regulation 7, in sub-regulation (1), the words "within a period of 3 months" shall be added at the end of first tence.

5. In Regulation 8, the following proviso may be added at the end.

"Provided that a show cause notice may be issued to the person concerned and an opportunity may be given to him to end his case."

6. In Regulation 10, sub-regulation (5) shall be deleted and sub-regulation (6) shall be renumbered as sub-ulation (5).

Foot Note : The principal regulations were notified in the Gazette of India vide GSR 512 (E) dated 14-12-1993 and sequently amended vide GSR 155(E) dated 29-3-1996.

[F. No. H-11011/9/95-PE-I]

K.V. RAO, Jt. Secy.